

**FIRST INFORMATION REPORT**  
**(Under Section 154 Cr.P.C.)**

1. **District:** STATE VIG. BUREAU PS: SVB Hisar **Year:** 2015 **FIR No:** 42 **Date:** 03.11.2015

2. **Act(s):** **Section(s)**  
(i) PREVENTION OF CORRUPTION ACT 1988 7  
(ii)  
(iii)  
(iv)

3. **Occurrence of Offence:**

(a) **Day:** Tuesday **Date From:** 03.11.2015 **Date To:** 03.11.2015  
**Time Period:** **Time From:** **Time To:**  
(b) **Information received at P.S:** **Date:** 03.11.2015 **Time:** 12.15  
(c) **General Diary Reference:** **Entry No.:** 4 **Time:** 12.15

4. **Type of Information:** WRITTEN

5. **Place of Occurrence:**

(a) **Direction and Distance from P.S** North-East /75 Km **Beat No.:** 05  
(b) **Address:** Area Of Distt. Jind  
(c) **In case, Outside the limit of the Police Station:**  
**Name of P.S:** SVB (H) Hisar **District:** Hisar

6. **Complainant/Informant:**

**Name:** Insp. Vishesh Singh SVB Unit Jind  
(a)

(b) **Birth year:** **Nationality:** INDIAN

(c) **Passport No.** **Date of issue:** **Place of Issue:**

(d) **Occupation:**

(e) **Address:**

7. **Details of known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary):**

(i) **Prop. Subhsh Duggal Govt. PG College Jind**

8 **Total value of property stolen:**

9

10 **Total value of property stolen:**

11 **Inquest Report/U.D Case No., if any**

12 **F.I.R Contents (attach separate sheet, if**

श्रीमान जी, जांच क्रमांक1 दिनांक 07.05.2015 जीन्द मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग चण्डीगढ के यादि क्रमांक 63/36/15-1 चौ०II दिनांक 06.05.2015 की अनुपालना मे दर्ज रजि० होकर महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो (ह) पचंकुला के पृष्ठांकन क्रमांक6280/शिकायत/आई-3/SVB(H) दिनांक 07.05.2015 अनुसार इस मण्डल मे प्राप्त हुई यह जांच परिवादी अनुप मोर, सहायक प्रोफेसर राजकीय महाविधालय जीन्द की शिकायत के आधार पर दर्ज रजिस्टर की गई थी जिसमे आरोप है कि माह दिसम्बर मे JIET कालेज जीन्द मे कुरुक्षेत्र विश्वविधालय कुरुक्षेत्र के आदेश दिनांक 10.12.2014

अनुसार श्री जगदीश मान प्रोफेसर की बतौर ओबजर्वर परीक्षा मे ड्यूटी लगाई गई थी लेकिन किसी कारणवश वह डियुटी पर नही जा सका । उनके स्थान पर प्राचार्य डा० वेद प्रकाश श्योराण ने प्रो० सुभाष दुग्गल की ड्यूटी बतौर ओबजर्वर दिनांक 16.12.2014 से 27.12.2014 तक लगाई थी जिसकी सुचना उनके कार्यालय के पत्र दिनांक 16.12.2014 द्वारा परीक्षा नियन्त्रक कुरुक्षेत्र विश्वविधालय कुरुक्षेत्र को भेज दी गई थी । इसके बाद प्रोफेसर अनुप मोर की ओबजर्वर के रुप मे ड्यूटी लगाई गई । आदेश मे यह भी लिखा था कि कुरुक्षेत्र विश्वविधालय कुरुक्षेत्र द्वारा लगाई गयी ओवजर्वर की ड्यूटी प्राचार्य उचित कारणो से परीक्षा नियन्त्रक कुरुक्षेत्र से बात करके ड्यूटी बदल सकता है । वर्ष 2013 से वर्ष 2015 तक श्री सुभाष दुग्गल की ओवजर्वर की ड्यूटी लगाई जानी पाई गई है । शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के साथ दी गई सी०डी० व Transcript के अवलोकन से पाया गया है कि श्री सुभाष दुग्गल ने JIET कालेज जीन्द के विधार्थी विकास, सजंय व प्रवीण जिन्होने दिसम्बर 2014 मे परीक्षा दी थी को दिनांक 06.01.2015 को कालेज मे बुलाया फिर अपने आवास मकान न० 1890 अर्बन अस्टेट जीन्द मे बुलाकर 5000/- रुपये लिये तथा बकाया 10000/- रुपये किस्तो मे देने बारे कहा । जिसकी जांच निरीक्षक विषेशर सिंह रा०चौ०ब्यूरो उपकेन्द्र जीन्द द्वारा की गई है जांच के दौरान सुभाष दुग्गल ने अपने कथन मे इस सी०डी० मे वार्तालाप व चलचित्र खुद का होना माना है । सुभाष दुग्गल की ड्यूटी 27.12.2014 को समाप्त हो चुकी थी इससे पहले इन विधार्थीयो की सुभाष दुग्गल से किसी भी प्रकार की बात नही होनी पायी गयी है लेकिन सी०डी० के देखने उपरान्त यह बात अवश्य पाई गई है कि सुभाष दुग्गल ने यह 5000/- रुपये विकास से लिये । अतः सुभाष दुग्गल द्वारा विधार्थीयो से नकल करवाने की ऐवज मे 5000/- रुपये की बतौर रिश्वत लेकर जुर्म 7/13(1) डी, पी०सी० एक्ट का किया है । अतः इसके विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम की उपरोक्त धाराओ के तहत अभियोग अकिंत किये जाने का सुझाव दिया जिस पर महानिदेशक रा०चौ०ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के पत्र क्रमांक 8613/ रा०चौ०ब्यूरो पंचकुला दिनांक 19.06.2015 के अनुसार मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग को भिजवाई गई तदोपरान्त यह जांच मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक न० 63/36/2015-1 चौ० 02 दिनांक 16.10.2015 की अनुपालना मे महानिदेशक रा०चौ०ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के पत्र क्रमांक 15291/I-3/SVB दिनांक 20.10.2015 के अनुसार सुभाष दुग्गल प्रोफेसर राजकीय स्नातकोतर महाविधायल जीन्द के विरुद्ध धारा 7,13(1) डी० पी०सी० एक्ट के तहत अभियोग अकिंत करने का निर्णय लिया गया है प्राप्त आदेशो की अनुपालना मे उपरोक्त सुभाष दुग्गल प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा बा जुर्म दर्ज रजिस्टर करके मिशल मुकदमा हजा मय आमदा रिकार्ड (4 फाईल जांच क्रमांक 1/15 जीन्द ) बराये तफतीश निजद निरीक्षक देवीलाल रा.चौ.ब्यूरो हिसार भेजी जा रही है । नुकलात प्र०सु० रिपोर्ट बराये स्पैशल रिपोर्ट बदस्त EASI सजंय कुमार 549/BWN ईलाका मैजिस्ट्रैट व एस०पी० जीन्द को बजरीया स्पैशल वाहक भेजी जा रही है ।

**Action Taken (Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at item No.2:**

- (i) Registered the case and took up the investigation
- (ii) Directed (Name of the I.O.): Devi Lal

**OR**

**Rank: Insp.**

**No. G/119**

**(iii) Refused investigation due to:**

**to take up the investigation, OR**

**OR**

**(iv) Transferred to P.S.(name):**

**On point of jurisdiction:**

**District:**

**F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost:**

**R.O.A.C.:**

**14.**

**Signature/Thumb Impression  
Of The Complainant/Informant:**

**Signature of Officer  
Name Anil Kumar  
Rank Insp.. No H/161**